

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र



आर. के. सिन्हा
अध्यक्ष

संदेश

जनवरी का महीना मेरे कार्यकाल का अंतिम महीना है। जल क्षेत्र में मेरी 35 साल की कार्यकाल यात्रा देश के लिए गर्व के क्षणों के साथ-साथ चुनौतियों और परिवर्तनों से भरी रही है। पिछले महीने देश के जल क्षेत्र में दो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गईं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे।

सबसे पहले, राज्यसभा ने ऐतिहासिक बांध सुरक्षा विधेयक (2019) पारित किया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम के अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बांधों वाला देश है। हालांकि भारत के बांध सुरक्षा रिकॉर्ड की

तुलना विकसित देशों से की जा सकती है, फिर भी, बांध की विफलता से बचने और पर्याप्त रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है। बांध सुरक्षा विधेयक सुनिश्चित करता है कि देश में सभी आवश्यक बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन किया जा रहा है और बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं को दूर करने के लिए प्रबंध किए गए हैं। विधेयक, इन संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को संभालने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करता है। विधेयक बांध मालिकों द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य बांध सुरक्षा कार्यों को पूरा करने पर भी केंद्रित है। के.ज.आ. पिछले कई दशकों से बांध सुरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए प्रमुख रूप से प्रयासरत रहा है। इस विधेयक का अधिनियमन बांध सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन के लिए भारत में एक नए युग की शुरुआत करता है।

दूसरी प्रमुख उपलब्धि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के वित्त पोषण

और कार्यान्वयन की मंजूरी। केन-बेतवा लिंक परियोजना की कुल अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता अधिकृत की है, जिसमें 36,290 करोड़ रुपये का अनुदान और 3,027 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है। परियोजना में दौधन बांध और एक नहर के माध्यम से दो नदियों को जोड़ने के साथ-साथ केन से बेतवा नदी में जल अंतरण, लोअर ओर प्रोजेक्ट, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। यह परियोजना भारत में, नदी परियोजनाओं के अतिरिक्त अंतर्संयोजन का मार्ग प्रशस्त करेगी साथ ही साथ विश्व के लिए अपनी नई खोज और दृष्टिकोण का प्रदर्शन करेगी।

मैं के.ज.आ. को भारत को जल सुरक्षित और जल समृद्ध बनाने की दिशा में उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ और नववर्ष 2022 में सभी के सुखी, समृद्ध और स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

Rud





DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

WATER HEROES

Share Your Stories Contest

<https://www.mygov.in/task/water-heroes-%E2%80%93-share-your-stories-contest-30/>

विषयसूची

- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021
- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन पर माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा की गई बैठक
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट की मंजूरी
- राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की 13वीं बैठक

- जल गुणवत्ता पैरामीटर ई-कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस के विश्लेषण पर कार्यशाला
- आईडब्ल्यूएमआई द्वारा 'सिस्टमैटिक एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 146वीं बैठक
- "जल सुरक्षा" के उप-विषयों पर संकल्पना पत्र की तैयारी
- संसद टीवी पर केन बेतवा नदी लिंक

- फरक्का बैराज परियोजना (टीएसी-एफबीपी) की तकनीकी सलाहकार समिति की 117वीं बैठक
- केसीसी टेलिंग डैम (खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)) का दौरा
- विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति का सरहिंद फीडर एवं राजस्थान फीडर परियोजना का दौरा
- प्रस्तावित अयोध्या बैराज परियोजना की डीपीआर
- इतिहास- निचली गंगा नहर

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है और 30.12.2021 से प्रभावी हुआ है। अधिनियम, बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन व रखरखाव से संबन्धित प्रावधान प्रदान करता है और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।

बांध सुरक्षा अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान करता है-

- बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए कार्यों के निर्वहन तथा बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन करेगा और यह बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगा व इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक नियमों की सिफारिश करेगा;
- निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण और रखरखाव हेतु नीति, दिशानिर्देशों और मानकों को लागू करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करना। दो राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच अनसुलझे मुद्दों को उठाना या किसी राज्य के बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य में बांध के मालिक बीच के विवादों को सुलझाना, तथा कुछ मामलों में, जैसे कि बांध का दो या दो से अधिक राज्यों में विस्तार होना अथवा एक राज्य के बांध का दूसरे राज्य के सीमाक्षेत्रों के अंतर्गत भी आना आदि मुद्दों को सुलझाना। यह राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका भी निभाएगा जिससे अंतर्राज्यीय संघर्षों के संभावित कारणों को समाप्त किया जा सके;



- राज्य में सभी निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति का गठन;
- विनिर्दिष्ट बांध वाले राज्यों में राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना, जिसे बांधों की सुरक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव वाले अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा;
- अधिनियम के तहत उन लोगों के लिए दंड का प्रावधान है जो बिना उचित कारण के, संबंधित निरीक्षण अधिकारियों को उनके बांध सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों के पालन में बाधा डालते हैं या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा अथवा उनकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करते हैं। इसके लिए एक वर्ष के कारावास से लेकर जुर्माना या दोनों सजा एक साथ हो सकती है, और यदि इस तरह की बाधा या निर्देशों का पालन करने से इनकार करने से जीवन की हानि या आसन्न खतरा होता है, तो कारावास की दंडनीय अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत देखा जाएगा।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन पर माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा बैठक

हाल ही में दिनांक 14.12.2021 को अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 में विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू ने की। बैठक में डीओडब्ल्यूआर, के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारी और कुछ इंजीनियरिंग संस्थानों के प्रोफेसरों ने भी भाग लिया। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, चूंकि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, अतः पूरे देश में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हमें तत्पर रहने की आवश्यकता है। इस कार्य के विशाल होने के कारण, हमें बांध सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी पेशेवरों की भागीदारी

प्राप्त करने की आवश्यकता है। बांध इंजीनियरिंग और बांध सुरक्षा क्षेत्रों में किए गए नवीनतम तकनीकों और अनुसंधान कार्यों से केंद्रीय और राज्य स्तर पर बांध पेशेवरों को शिक्षित करके पूर्वोक्त अधिनियम में परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करने में शैक्षणिक संस्थान बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। संयुक्त सचिव ने तब आईआईटी मद्रास, एमएनआईटी जयपुर के अतिथि प्रोफेसरों और वैज्ञानिक, बीआईएस का स्वागत किया और बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से उनका परिचय कराया। उन्होंने प्रोफेसरों से इस पर अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया कि कैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान बांध सुरक्षा अधिनियम और उसमें निहित प्रावधानों के कार्यान्वयन में योगदान दे सकते हैं।

श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जलाशयों के लिए रूल लेवल कर्ब्स की तैयारी

श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जलाशयों के लिए रूल लेवल कर्ब्स कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण- I के आदेश और अन्य अंतर-राज्यीय समझौतों के आधार पर तैयार किए गए हैं। 37 वर्षों (1984-85 से 2020-21) के सतत अनुकरण ने दोनों

परियोजनाओं की मांगों को पूरा करने की दिशा में 81% की सफलता दर दिखाई है। रूल लेवल की रिपोर्ट कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) को भेज दी गई है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 08.12.2021 को केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 90:10 (केंद्र-राज्य) के अनुपात में 44,605 करोड़ रुपये है और परियोजना के लिए 39,317 करोड़ रुपये का केंद्रीय सहायता होगी जिसमें 36,290 करोड़ रुपये का अनुदान और 3,027 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) नामक एक एसपीवी के निर्माण को भी मंजूरी दी।

केन-बेतवा लिंक परियोजना प्रमुख नदी-जोड़ने वाली देश की पहली परियोजना है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पानी की आवश्यकता को पूरा करेगी। 22.03.2021 को माननीय प्रधान मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने केन-बेतवा लिंक के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया।


केन-बेतवा लिंक परियोजना में दौधन बांध और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर, निचली ओर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के माध्यम से केन से बेतवा नदी में पानी के स्थानांतरण की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 9.08 लाख हेक्टेयर के सीसीए को कवर करते हुए 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगी, लगभग 62 लाख की आबादी को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करेगी। परियोजना को 8 वर्षों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की 13वीं बैठक

राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) की 13वीं बैठक 06.12.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, ऊपरी यमुना नदी

जल गुणवत्ता पैरामीटर ई-कोली और स्ट्रेप्टोकोकस के विश्लेषण पर कार्यशाला

ऊपरी और मध्य गंगा जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, एमजीडी -3, वाराणसी द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से 09.12.2021 को "जल गुणवत्ता मानकों का विश्लेषण: एस्वेरिचिया कोली (ई. कोली) और स्ट्रेप्टोकोकस" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की ओर से निदेशक, तकनीकी समन्वय(टीसी)निदेशालय द्वारा किया गया। प्रारंभ में, कार्यशाला के संबंध में अधीक्षण अभियंता (समन्वय), एलजीबीओ, पटना द्वारा स्वागत भाषण और परिचय दिया गया और उसके बाद मुख्य अभियंता, एलजीबीओ और मुख्य अभियंता, योजना व विकास ने भाषण दिए। निदेशक, तकनीकी समन्वय निदेशालय ने के.ज.आ. में इन 2 नए मापदंडों के विश्लेषण के महत्व पर विचार करते हुए कार्यशाला आयोजित करने के लिए एलजीबीओ के प्रयासों की सराहना की। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के बाद कार्यशाला का वैज्ञानिक सत्र



इस परियोजना से सूखा प्रवृत्त बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जिलों जैसे पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को भारी लाभ मिलेगा।

बोर्ड, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण और राज्य सरकारों आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, राष्ट्रीय परियोजनाओं से संबंधित प्रगति, मुद्दों/बाधाओं और राष्ट्रीय परियोजना योजना के तहत परियोजनाओं को शामिल करना आदि पर विस्तृत चर्चा की गई।

हुआ।

वैज्ञानिक सत्र में के.ज.आ. के सभी 23 प्रयोगशालाओं और मुख्यालयों के वैज्ञानिक अधिकारियों ने भाग लिया। श्री ए.के. त्रिवेदी, एआरओ और श्री अभिषेक कुमार, एसआरए ने नदी के पानी में ई. कोली और स्ट्रेप्टोकोकी के विश्लेषण के संबंध में परिचय दिया। इसके अलावा, सुश्री माधुरी सरोज और श्री अजय कुमार, एसआरए ने अपनी प्रस्तुति में नदी के पानी के नमूनों में ई. कोली और स्ट्रेप्टोकोकस के विश्लेषण के महत्व और विधि के बारे में बताया। उन्होंने प्रयोगशाला में विश्लेषण के रिकॉर्ड किए गए वीडियो द्वारा व्यावहारिक सत्रों का प्रदर्शन किया। चूंकि के.ज.आ. में पहली बार इन मापदंडों का विश्लेषण किया जा रहा है, इसलिए विश्लेषण को लेकर कई शंकाएं थीं, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई।

अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) द्वारा 'सिस्टमैटिक एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने 01.12.2021 को महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ (एमपीकेवी), राहुरी के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) द्वारा आयोजित "सिस्टमैटिक एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (एसएएमएस)" पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित किया। इसमें विश्व बैंक समर्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी), केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), और महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने सहयोग किया।

सदस्य(डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने उल्लेख किया कि भारत में पानी एक राज्य का विषय होने के कारण, प्रत्येक राज्य के पास आपूर्ति, वितरण, भंडारण और बुनियादी ढांचे के मुद्दों से अपने आप निपटने का अधिकार है। जल उपयोग और प्रबंधन के सभी स्तरों पर जल उपयोग में अक्षमता दिखाई देती है। इसलिए, इस संबंध में सिस्टमैटिक एसेट मैनेजमेंट बहुत महत्व रखता है।

उन्होंने जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण में नवीनतम तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और सिंचाई, कृषि, बागवानी, वानिकी आदि में आर्टिफिशियल इंटेलेजेंस के उपयोग की खोज के लिए आग्रह किया। इस बात पर ध्यान दिलाया गया कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव/नगर स्तर पर रियल टाइम एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली/निर्णय समर्थन प्रणाली(डीएसएस) क्षेत्रवार जल बजट तैयार करने में मदद कर सकती है तथा किस फसल को

अध्यक्ष, के.ज.आ. का दौरा पटना

श्री रंजन कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने मुख्य अभियंता, एलजीबीओ, के.ज.आ. के साथ 22.12.2021 से 25.12.2021 तक एलजीबीओ, के.ज.आ, पटना का दौरा किया।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने कोसी उपमंडल, के.ज.आ, बेगूसराय के लिए भूमि आवंटन के संबंध में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद, अध्यक्ष ने मुख्य अभियंता, एलजीबीओ, पटना को मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने पटना में के.ज.आ. भवन निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की और वित्त

नेपाल

श्री आर.के.सिन्हा, अध्यक्ष और सदस्य (आरएम), के.ज.आ, नई दिल्ली और श्री राम जीत वर्मा, अधीक्षण अभियंता, योजना परिमंडल, के.ज.आ, फरीदाबाद और परियोजना प्रबंधक (आई), जेपीओ-एसकेएसकेआई ने 27 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान नेपाल में सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना (एसकेएचडीएमपी) और सुनकोसी स्टोरेज-कम-डायवर्जन योजना (एसएसडीएस) के विलंबित जांच कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदमों की समीक्षा और सुझाव के लिए नेपाल का दौरा किया।

उपरोक्त दौरे के दौरान, अध्यक्ष और सदस्य (आरएम), के.ज.आ. ने श्रीमती नामग्या सी. खम्पा, मिशन के उप प्रमुख, भारतीय दूतावास, काठमांडू; श्री संदीप कुमार देव, डीजी, विद्युत विकास विभाग और टीम लीडर, जेटीई (एन) तथा नेपाल सरकार के विद्युत विकास विभाग, जल संसाधन और सिंचाई विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों, के साथ उपरोक्त जांच कार्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उक्त प्रतिनिधिमंडल ने



बोना है (क्षेत्रवार), वाटरशेड विकास और जल संरक्षण गतिविधियों को शुरू किए जाने की सलाह जारी कर सकती है। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि सिस्टमैटिक एसेट मैनेजमेंट, सिंचाई के बुनियादी ढांचे के स्थायी संचालन और रखरखाव में मदद कर सकता है, जो कि आखिरी छोर पर जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने में फायदेमंद होगा अर्थात आखिरी छोर के उपयोगकर्ताओं के लिए पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का उचित और समय पर रखरखाव, जल उपयोग दक्षता में सुधार, न्यायसंगत और विश्वसनीय सेवा वितरण, बेहतर फसल उत्पादकता, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास आदि में मदद कर सकता है।

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने एसएएमएस बनाने के लिए आईडब्ल्यूएमआई के प्रयासों की सराहना की और सॉफ्टवेयर के परिचालन पहलुओं में इंजीनियरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कार्यशाला के आयोजन के लिए आईडब्ल्यूएमआई की सराहना की।

वर्ष 2021-22 में इसे पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पटना में लेवल-II जल गुणवत्ता प्रयोगशाला के एनएबीएल मान्यता लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। अध्यक्ष ने एलजीबीओ, पटना के तहत उप-मंडल और साइटों का निरीक्षण किया और गेज पोस्ट की स्थापना, लेवल-1 प्रयोगशाला में पानी के गुणों के सभी छह मानकों का अवलोकन, एच.ओ. संबंधित डेटा को संबन्धित कार्यालय में भेजने, एमटीबीएम की समय पर जांच और कई अन्य आवश्यक कार्य का सुझाव दिया।



श्रीमती पम्फा भुसाल, माननीय ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री, नेपाल सरकार तथा सचिव, ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई, नेपाल सरकार से भी मुलाकात की।

उपरोक्त चर्चा फलदायी रही और एसकेएचडीएमपी और एसएसडीएस के जांच कार्यों में आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए एक सकारात्मक टिप्पणी के साथ समाप्त हुई। अध्यक्ष और सदस्य (आरएम), के.ज.आ. ने जेपीओ-एसकेएसकेआई के अन्य अधिकारियों के साथ प्रस्तावित एसकेएचडीएमपी बांध स्थल और चतरा एवं सिसौली बैराज स्थलों का भी दौरा किया।

वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति (सीडीआरसी) की 51वीं बैठक

बैठक की तिथि	14.12.2021
कुल मामलों की संख्या जिस पर विचार किया गया	09
वाणिज्यिक मामले	08
गैर-व्यावसायिक मामले	01
समिति द्वारा अनुशंसित मामलों की संख्या	07
अस्वीकृत मामलों की संख्या	02

146वीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 30.12.2021 को केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के पुणे स्थित राष्ट्रीय जल अकादमी कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया गया। माननीय समिति द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया तथा प्रशंसनीय उपलब्धियों के लिए अकादमी की सराहना भी की गई।

"जल सुरक्षा" के उप-विषयों पर संकल्पना पत्र तैयार करना

भारत सरकार विभिन्न पहलुओं पर राज्य के साथ चर्चा करने की योजना बना रही है। कैबिनेट सचिवालय द्वारा सम्मेलन आयोजित कर राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए पहचाने गए 6 विषयों में से एक "जल सुरक्षा" है। जल शक्ति मंत्रालय को इस विषय पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने का काम सौंपा गया है।

मंत्रालय में प्रारंभिक विचार-विमर्श के बाद, विषय को तीन उप-विषयों में विभाजित किया गया है, अर्थात्:

- जल उपयोग दक्षता और प्रशासन
- नदी संरक्षण और कायाकल्प
- जल संरक्षण

उप-विषयों पर आगे विचार-विमर्श करने और अवधारणा नोट को अंतिम रूप देने के लिए तीन विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया है। इस संबंध में एनएमसीजी, नई दिल्ली में दिनांक 03.12.2021 को सभी तीन उप-विषयों के चयनित विशेषज्ञों की एक आम बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के

संसद टीवी पर केन बेतवा नदी लिंक

संसद टीवी पर 15.12.2021 को नदी अंतर्गोचन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और श्री भोपाल सिंह, डीजी, एनडब्ल्यूडीए ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केन-बेतवा लिंक परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यह परियोजना, जिसमें केन से बेतवा नदी में पानी का हस्तांतरण शामिल है, मध्य प्रदेश और यूपी राज्य में फैले जल अभावग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी। नदी अंतर्गोचन (आईएलआर) कार्यक्रम अतिरिक्त भंडारण सुविधाएं सृजित करने और जल-अधिशेष क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित करने का


पोलावरम के लाभों का आकलन

एमडीडीएल (+41.15 मीटर) पर पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) की लागत और लाभों के आकलन के लिए सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 2 और 14 दिसंबर, 2021 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया और एमडीडीएल (+41.15 मी) पर पीआईपी की लागत और लाभों का आकलन करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।



मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए), आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की जैसे शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिभागी अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों के विचारों को नोट किया गया। इसके अलावा, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय जल आयोग और विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ 09.12.2021 (हाइब्रिड मोड में) "जल सुरक्षा" विषय पर एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने मुख्य अभियंता (पोमियो) और के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों के साथ सत्र में भाग लिया। सत्र के दौरान, राज्यों को तीनों उप-विषयों का संक्षिप्त परिचय देने के साथ कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में सूचित किया गया और तीनों उप-विषयों में से किसी एक या सभी में भाग लेने के लिए राज्य की सहमति मांगी गई।

तब राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को उनके सुझाव और उनकी रुचि के विषय/उप-विषयों को बताने का अवसर दिया गया जिसमें वे शामिल होना चाहते थे। बैठकों के दौरान पृष्ठभूमि नोट में शामिल करने के लिए उप-विषयों पर विभिन्न सुझाव दिए गए।



एक प्रमुख प्रयास है। इस कार्यक्रम का लिंक इस प्रकार है:

<https://youtu.be/V3iZy6oqBHU>

फरक्का बैराज परियोजना (टीएसी-एफबीपी) की तकनीकी सलाहकार समिति की 117वीं बैठक

डॉ आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ./अध्यक्ष, टीएसी-एफबीपी की अध्यक्षता में 21 से 23 दिसंबर, 2021 के दौरान फरक्का बैराज परियोजना (टीएसी-एफबीपी) की तकनीकी सलाहकार समिति की 117वीं बैठक आयोजित की गई। 23.12.2021 को बैठक से पहले 21-22 दिसंबर, 2021 को बैराज और संलग्न संरचनाओं, बैराज के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में कटाव प्रभावित क्षेत्रों और फरक्का बैराज परियोजना के अधिकार क्षेत्र के तहत फीडर नहर का दौरा किया गया।



कटाव प्रभावित क्षेत्र, बीरनगर (फरक्का बैराज के यू/एस) पर बैठक,

टीएसी-एफबीपी फरक्का बैराज परियोजना प्राधिकारियों को बैराज और इसकी संलग्न संरचनाओं से संबंधित विभिन्न तकनीकी मामलों, मुख्य रूप से हाइड्रो-मैकेनिकल अवयव, कटाव विरोधी और तटसुरक्षा कार्य, फीडर नहर में कटाव की समस्या आदि पर सलाह देता है। के.ज.आ. मुख्यालय के

निम्नलिखित अधिकारियों ने टीएसी में भाग लिया:

- (i) श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, डिजाइन ई एंड एनई यूनिट,
- (ii) श्री शिव कुमार शर्मा, निदेशक, (iii) श्री सरबजीत कुमार सिंह, उप निदेशक, (iv) श्री हरकेश कुमार, निदेशक, और (v) श्री आदित्य मिश्रा, उप निदेशक।

केसीसी टेलिंग डैम (खेत्री कॉपर कॉम्प्लेक्स, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) का दौरा

मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) की अध्यक्षता में के.ज.आ. की एक टीम ने केसीसी टेलिंग्स बांध (खेत्री कॉपर कॉम्प्लेक्स, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), खेत्री नगर, जिला झुंझुनू, राजस्थान) का 10.12.2021 को निरीक्षण दौरा किया। निदेशक और उप निदेशक, तटबंध (एन एंड डब्ल्यू) भी टीम का हिस्सा थे। तटबंध (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय खेत्री टेलिंग बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए एचसीएल को डिजाइन परामर्श प्रदान कर रहा है। यह दौरा टेलिंग बांध की ऊंचाई को और बढ़ाने के सिलसिले में किया गया था।



प्रशिक्षण गतिविधि

क. संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम (परिसर में कार्यक्रम)

कार्यक्रम का नाम	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजन स्थल
अनिवार्य संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) स्तर 1: केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप ए) के जूनियर टाइम स्केल अधिकारियों के लिए	13-31 दिसंबर, 2021	25	एनडब्ल्यू, पुणे; आईआईटी-रुड़की; और आईआईएम-अहमदाबाद

ख. तकनीकी कार्यक्रम (एनडब्ल्यू के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन)

कार्यक्रम का नाम	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
i. पायथन प्रोग्रामिंग का परिचय और जल संसाधन क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग	13-24 दिसंबर, 2021	404

ग. जन जागरूकता कार्यक्रम (एनडब्ल्यू का सिस्को-वेबेक्स प्लेटफॉर्म)

जिला परिषद के जन प्रतिनिधियों, ब्लॉक स्तर और पंचायत अधिकारियों के साथ-साथ पानी पंचायतों के पदाधिकारियों और प्रगतिशील किसानों को लक्षित करते हुए ओडिशा के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों को समिलित करते हुए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के तौर-तरीके तय किए गए। कार्यक्रमों के लिए

सामग्री, कवरेज और संकाय की पहचान जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI), ओडिशा के परामर्श से की गई थी। दो दिनों की अवधि के लिए जिला परिषद ब्लॉक स्तर और पंचायत अधिकारियों आदि को लक्षित करके ऑनलाइन मोड में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाल्मी, ओडिशा के सहयोग से जल संरक्षण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार की इस चल रही श्रृंखला के एक भाग के रूप में, नवंबर 2021 के महीने में तीन कार्यक्रम पूरे किए गए, और तीन कार्यक्रम दिसंबर, 2021 में पूरे किए गए। दिसंबर, 2021 के महीने के लिए कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	वाल्मी, ओडिशा के सहयोग से "जल संरक्षण और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार - कार्यक्रम 4 (पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र के जिलों के लिए)	02-03 दिसंबर, 21	308
2	वाल्मी, ओडिशा के सहयोग से "जल संरक्षण और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार - कार्यक्रम 5 (पूर्वोत्तर घाट कृषि-जलवायु क्षेत्र के जिलों के लिए)	09-10 दिसंबर, 21	263
3	वाल्मी, ओडिशा के सहयोग से "जल संरक्षण और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार - कार्यक्रम 6 (पूर्वी घाट उच्च भूमि कृषि-जलवायु क्षेत्र के जिलों के लिए)	16-17 दिसंबर, 21	256

शेष चार कार्यक्रम जनवरी 2022 के दौरान आयोजित किए जाएंगे।

देश में बाढ़ की स्थिति

के.ज.आ. द्वारा नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम बेसिन में 01.05.2021 को शुरू की गई। 01मई से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान, 10617 बाढ़ पूर्वानुमान (6670 स्तर और 3947 अंतर्वाह) जारी किए गए, जिनमें से 9976 (6456 स्तर और 3520 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 93.96% सटीकता की सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से दिसंबर में 30 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए और चरम बाढ़ की स्थिति के लिए कोई रेड बुलेटिन जारी नहीं किए गए।

01.05.2021 से 31.12.2021 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

आठ बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्रमांक	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1.	बिहार	पटना	गंगा	हतिदाह	13/08/2021	19/08/2021
2		भागलपुर	गंगा	भागलपुर	16/08/2021	19/08/2021
3	उत्तर प्रदेश	औरैया	यमुना	औरैया	06/08/2021	07/08/2021
4		बदायूँ	गंगा	कछलाब्रिज	23/10/2021	23/10/2021
5		सिद्धार्थ नगर	राप्ती	बंसी	02/09/2021	04/09/2021
6	ओडिशा	बालासोर	सुबर्णरेखा	मथनी रोड ब्रिज	22/09/2021	22/09/2021
7	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार	तीस्ता	मेखलीगंज (रोडब्रिज)	20/10/2021	20/10/2021
8	आंध्रप्रदेश	नेल्लोर	पेन्नार	नेल्लोर अनीकट	20/11/2021	20/11/2021

50 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति देखी गई

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी

डीआरआईपी

डीआरआईपी चरण II के लिए विश्व बैंक समीक्षा मिशन

डीआरआईपी चरण II के लिए विश्व बैंक समीक्षा मिशन 30 नवंबर से 21 दिसंबर, 2021 के दौरान ग्यारह (11) कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, जिसके बाद 22.12.2021 को नई दिल्ली में श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में मिशन समाप्त करने के लिए एक बैठक हुई। इन बैठकों के दौरान, परियोजना कार्यान्वयन की आवश्यकताओं तथा खरीद, वित्त, सामाजिक और पर्यावरण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में राज्यों को जागरूक किया गया। भौतिक और वित्तीय प्रगति, बांध सुरक्षा निरीक्षण, डिजाइन बाढ़ समीक्षा, खरीद की स्थिति तथा मुद्दों और शेष गतिविधियों के लिए समय सीमा सहित परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में प्रत्येक एजेंसी के साथ चर्चा की गई। मेघालय, मणिपुर, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों के संबंध में, मिशन को फिजिकल रूप से दिल्ली में आयोजित किया गया। हालांकि, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए

क्षेत्र दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और झारखंड राज्यों में 87 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 42 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर सामान्य बाढ़ से ऊपर की स्थिति देखी गई

सीमा से अधिक अंतर्वाह वाले जलाशय

कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश में 79 जलाशयों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने की सीमा से अधिक प्रवाह प्राप्त हुआ



समीक्षा मिशन अपने-अपने राज्यों में आयोजित किए गए। समीक्षा बैठकों में विश्व बैंक, के.ज.आ. और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति का सरहिंद फीडर एवं राजस्थान फीडर परियोजना दौरा

राजस्थान फीडर (आरएफ) को आरडी 179000 फीट से 496000 फीट तक और सरहिंद फीडर (एसएफ) को आरडी 119700 फीट से 447927 फीट तक रिलाइनिंग करने के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 10.12.2021 को सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. के नेतृत्व में विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति की दूसरी यात्रा सह समीक्षा बैठक की गई।

शीर्ष पर 18500 क्यूसेक क्षमता वाला राजस्थान फीडर और 5439 क्यूसेक क्षमता वाला सरहिंद फीडर के किनारे समानांतर रूप से चलते हैं। इन दो नहरों को 50 के दशक के अंत में निर्माणाधीन लिया गया था और 60 के दशक के मध्य में पूरा किया गया था। सरहिंद फीडर के अंतर्गत 621000 हेक्टेयर का कृष्य कमान क्षेत्र है और रिलाइनिंग के बाद 256 क्यूसेक पानी की बचत होगी जिसका उपयोग पंजाब में 44177 हेक्टेयर और राजस्थान में 10371 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। राजस्थान फीडर के अंतर्गत 1963000 हेक्टेयर का कृष्य कमान क्षेत्र है और रिलाइनिंग के बाद, 560 क्यूसेक पानी की बचत होगी जिसका उपयोग राजस्थान में 51131 हेक्टेयर रबी में और 47608 हेक्टेयर खरीफ में सिंचाई के लिए किया जा सकता है।



मुख्य अभियंता, पंजाब ने दौरे/समीक्षा बैठक के दौरान, कार्य में हुई प्रगति के साथ-साथ निष्पादन में आने वाली समस्याओं पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। फिर सरहिंद फीडर (एसएफ) साइट का दौरा आरडी 257000 फीट से शुरू हुआ और आरडी 451000 फीट पर समाप्त हुआ। समिति ने सरहिंद और राजस्थान फीडर दोनों के अंतर्गत निर्माणाधीन हिस्से के साथ-साथ पिछले क्लोजर तक निर्मित हिस्से के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया। समिति ने निर्माण की गुणवत्ता, अनुमोदित डिजाइन/ डिजाइन परिवर्तन आदि के अनुपालन से संबंधित विभिन्न अवलोकन/सिफारिशें कीं।

प्रस्तावित अयोध्या बैराज परियोजना की डीपीआर की तैयारी

अयोध्या बैराज परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए केंद्रीय जल आयोग(के.ज.आ.) और उत्तर प्रदेश सरकार (आईडब्ल्यूआरडी यूपी) के बीच 26.03.2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना का मसौदा डीपीआर पूरा कर लिया गया और 18.12.2021 को आईडब्ल्यूआरडी, यूपी सरकार को प्रस्तुत किया गया। ड्राफ्ट डीपीआर पर आईडब्ल्यूआरडी द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई थी। इसे जनवरी, 2022 तक यूपी सरकार को वापिस प्रस्तुत किया जाएगा।



योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और के.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2021-22	व्यय	व्यय(%में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	175.00	110.467	63.12
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं का अन्वेषण (आईडब्ल्यूआरडी)	12.00	5.062	42.18
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	27.32	6.629	24.26
4.	बुनियादी ढांचा विकास (आईडी) योजनाएं	4.50	2.857	63.49
5.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)	23.905	6.816	28.50
6.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)	25.00	13.00	52.00

जल क्षेत्र समाचार

- विरोध के बावजूद बांध सुरक्षा विधेयक रास से पारित (जनसत्ता, 03.12.2021)
- 120 मेगावाट की व्यासी जलविद्युत परियोजना प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित, मिलेगी 353 मिलियन यूनिट बिजली (हिन्दुस्तान, 03.12.2021)
- 44,605 करोड़ की केन—बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड में आएगी खुशहाली, 103 मेवा जल और 27 मेवा सौर ऊर्जा होगी उत्पन्न (हरिभूमि, 10.12.2021)
- नदी जोड़ने की परियोजना से अलग हुआ गुजरात (पंजाब केसरी, 10.12.2021)
- राजस्थान के 10 लाख ग्रामीण परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए (राष्ट्रीय सहारा, 11.12.2021)
- सरयू परियोजना का 80 प्रतिशत से अधिक काम योगी सरकार में (दैनिक जागरण, 12.12.2021)
- प्रधानमंत्री ने यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना देश को समर्पित किया। विपक्ष ने पूर्वांचल के किसानों का अरबों का नुकसान किया : मोदी (हिन्दुस्तान, 12.12.2021)
- आजादी के पहले बने 351 बड़े बांध आ रहे हैं काम : सरकार (अमर उजाला, 14.12.2021)
- अदृश्य सरस्वती के अस्तित्व से इनकार नहीं (हिन्दुस्तान, 14.12.2021)
- पांच सालों में विभिन्न परियोजनाओं पर 93 हजार करोड़ खर्च होंगे — कृषि सिंचाई योजना को पांच वर्ष और बढ़ाया गया (हिन्दुस्तान, 16.12.2021)

डेटा कॉर्नर

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी के सीएडीडब्ल्यूएम घटक के तहत शामिल की गई केंद्रीय सहायता और कृष्य कमान क्षेत्र का विवरण

क्रम सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	केंद्रीय सहायता लक्ष्य (करोड़रु0में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़रु0में)	कृष्य कमान क्षेत्र लक्ष्य(हजार हेक्टे)	कृष्य कमान एरिया प्राप्त (हजार हेक्टे)
1	आंध्र प्रदेश	349.38	69.18	178.62	0.00
2	असम	96.63	7.55	49.69	23.40
3	बिहार	50.66	35.82	30.51	17.25
4	छत्तीसगढ़	79.57	21.71	42.63	0.00
5	गोवा	18.77	3.84	11.78	1.05
6	गुजरात	2510.88	1719.15	1363.86	938.61
7	जम्मू-कश्मीर	5.24	3.57	2.46	1.69
8	झारखंड	133.32	0.00	66.65	0.00
9	कर्नाटक	175.60	75.28	84.02	34.84
10	केरल	48.72	2.69	18.48	0.60
11	मध्य प्रदेश	1259.02	294.76	595.52	248.43
12	महाराष्ट्र	967.09	120.02	500.60	108.87
13	मणिपुर	44.36	0.00	13.06	8.67
14	उड़ीसा	420.40	131.96	236.40	71.59
15	पंजाब	228.87	18.08	142.66	0.00
16	राजस्थान	230.05	51.39	117.98	30.73
17	तेलंगाना	702.21	36.34	529.03	10.68
18	उत्तर प्रदेश	914.93	156.00	524.38	0.00
	कुल	8235.70	2747.35	4508.30	1496.42

(स्रोत: संसदीय प्रश्न- दिसंबर 2021)

जलाशय निगरानी


के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 133 जलाशयों की सक्रिय संग्रहण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन जलाशयों में से 44 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 133 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 172.463 बीसीएम है जो कि 257.812 बीसीएम की सक्रिय संग्रहण क्षमता का लगभग 66.89% है, जो अनुमानित तौर पर देश में ही निर्मित की गई है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 30.12.2021 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 124.95 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 72% है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 126.169 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत 105.111 बीसीएम था। इस प्रकार, बुलेटिन दिनांक 13.12.2021 के अनुसार 133 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 99% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 119% है।

साप्ताहिक बुलेटिन के प्रकाशन के बाद, 31 दिसंबर, 2021 को के.ज.आ. के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली के अंतर्गत चार अतिरिक्त जलाशयों को शामिल किया गया। इन चार जलाशयों

की एफआरएल के स्तर पर संयुक्त सक्रिय संग्रहण क्षमता 2.904 बीसीएम है।

बांध/जलाशय	राज्य(राज्यों)	एफआरएल पर सक्रिय भंडारण क्षमता(बीसीएम)
दिंभे	महाराष्ट्र	0.354
वीर	महाराष्ट्र	0.266
राजघाट	यूपी/एमपी	1.945
बारवी	महाराष्ट्र	0.339
	कुल	2.904




गैलरी



केंद्रीय जल आयोग, गंगटोक को संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया।



अंतर-मंत्रालयी पुरुष हॉकी स्पर्धा के फ़ाइनल में जल शक्ति मंत्रालय की टीम जिसमें के.ज.आ. के कई अधिकारी/कर्मचारी भी प्रतिभागी थे, एक कड़े मुकाबले में दूसरे स्थान पर रही।



11 दिसंबर, 2019 को भारत और जापान के बीच जलसंसाधन के क्षेत्र में एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए। जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक 21 दिसंबर 2021 को वरचुअल मोड में आयोजित की गई।



जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग वाराणसी के सौजन्य से दिनांक 20/12/2021 को गंगा उत्सव -2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास समिति की प्रस्तुति

सिंचाई और जल निकासी अंतर्राष्ट्रीय आयोग(आईसीआईडी) की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) की 72वीं बैठक 15.12.2021 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। हालाँकि, यह बैठक उसी दिन पूरी नहीं हो सकी इसलिए बैठक 16.12.2021 को भी जारी रही। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास समिति (आईएनसीआईडी) की ओर से श्री के.येला रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, आईसीआईडी ने नवंबर, 2023 में एपी विजाग में आयोजित होने वाली 25वीं कांग्रेस और 75वीं आईईसी के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं पर एक प्रस्तुति दी।



आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 27/12/2021 को एमईआरओ परिसर, भुवनेश्वर में, 'स्वास्थ्य पर योग के प्रभाव' पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।



श्रीशैलम परियोजना

इतिहास- निचली गंगा नहर

हमारे देश में गंगा को देवत्व के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा आध्यात्मिक विकास और हमारे जीवन के बाद का रूपांतरण जुड़ा हुआ है। भौतिक धरातल पर भी, गंगा ने हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचे की नींव का एक बड़ा हिस्सा रखा है और हमारे सभ्य अतीत की कई किंवदंतियों का विषय रहा है।

इसका लाभ न केवल उन लोगों तक पहुँचाया गया है, जो इसके पास रहते हैं, बल्कि सैकड़ों नहरों, वितरिकाओं और उप-वितरिकाओं के माध्यम से असंख्य लाखों लोगों को उनके गाँवों और उनके क्षेत्र की सीमाओं तक लाभ पहुँचाया है। आज गंगा, गंगा और यमुना के बीच उपजाऊ दोआब में लाखों एकड़ कृषि कमान क्षेत्र की सिंचाई करती है और वर्ष के दौरान पहले से कहीं अधिक भोजन और चारा उगाने में मदद करती है।

ऊपरी गंगा नहर, जो हरिद्वार पर निकलती है, वर्ष 1854-55 में चालू की गई थी। यहां इसकी महान पूरक प्रणाली की सूचना दी जा रही है, जिसे आमतौर पर निचली गंगा नहर कहा जाता है, जो लगभग दो दशक बाद, 1877 में चालू हुई, और तब से दोआब के निचले आधे हिस्से में सबसे दक्षिणी और पूर्वी जिलों, अर्थात् फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर और कौशाम्बी तक विशाल इलाकों की सिंचाई में मदद करती है।

निचली नहर की आवश्यकता

ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के तुरंत बाद, सिंचाई इंजीनियरों द्वारा सोलानी नदी के साथ संगम के नीचे गंगा पर एक वियर बनाने और मौजूदा नहर के पूरक के लिए नदी से एक चैनल निकालने का विचार किया गया। वे गंगा-यमुना दोआब के निचले आधे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नदी के लगभग पूरे प्रवाह का उपयोग

करने के इच्छुक थे। गढ़मुक्तेश्वर से नीचे की ओर गंगा नदी के किनारे दो स्थल अर्थात् मेरठ जिले में पूथ और बुलंदशहर जिले में राजघाट नरोरा, बांध के निर्माण के लिए उपयुक्त प्रतीत हुए।

अवध और रोहिलखंड रेलवे द्वारा नदी पर अपने पुल के लिए पहले से सबसे अच्छी साइट को विनियोजित किया गया था, और चूंकि दो कार्यों को एक में मिलाने पर किसी भी लाभ से कहीं अधिक आपत्ति नजर आ रही थी, तो नदी के नीचे नरोरा गाँव के पास निचली गंगा नहर के हेड-वर्क्स को बनाने के लिए एक साइट का चयन किया गया।


नरोरा साइट

नरोरा पुराने दिनों में नरवर के नाम से जाना जाता था, जो एक सिद्ध पीठ (ज्ञान का स्थान) था। नहर कॉलोनी एक ऊंची चट्टान पर स्थित है और नदी और नहर का बहुत ही शानदार दृश्य पेश करती है।

यह उत्तर रेलवे के राजघाट-नरोरा स्टेशन पर निकटतम रेलहेड के साथ एक पक्की फीडर रोड साथ ही साथ रेलवे ट्रॉली सिस्टमसे जुड़ा है, और दिल्ली से तीन घंटे की मोटर ड्राइव के भीतर है, जो बुलंदशहर से होते हुए लगभग 80 मील की दूरी पर है।

बंध/वियर की साइट

गंगा जैसी महान नदी को इस स्थान से देखना एक शानदार दृश्य है जहाँ इसकी पूरी चौड़ाई को बांधकर, एक बड़ी और बारहमासी नहर प्रणाली को चलाने के लिए आवश्यक एक विशाल झील का निर्माण किया गया। इसकी पूरी चौड़ाई में इस तरह के एक वियर निर्माण के लिए साइट के चयन हेतु कई तरह से सोच-विचार की आवश्यकता थी जैसे नदी को उस स्थान पर



नरोरा में लोअर गंगा हेडवर्क

एक ही निश्चित धारा में बहना चाहिए, जो पर्याप्त रूप से संकीर्ण हो। धारा को लगभग स्थायी प्रकृति के किनारों के बीच सीमित होना चाहिए जिसे उच्चतम बाढ़ में भी कभी पर न किया जा सके। वियर को नदी की सीधी धारा में होना चाहिए और मोड़ से बहुत दूर होना चाहिए ताकि वियर के पहिले और बाद में प्रतिधाराओं का कम से कम प्रभाव हो। नदी के एक तरफ या दूसरी तरफ असमान प्रवाह बहुत कम होना चाहिए ताकि चिनाई वाली पट्टी की पूरी लंबाई में बाढ़ समान रूप से निकल सके। हालांकि इन कारकों में से प्रत्येक के सापेक्ष मूल्य या महत्व को विभाजित करना मुश्किल है, फिर भी नरोरा साइट, वियर निर्माण के स्थान के लिए सभी आवश्यकताओं के अनुकूल था।

हेडवर्क्स

वियर की लंबाई 3,800 फीट है। यह ईट की चिनाई की एक ठोस दीवार है, जिसकी देहलीज कट स्टोन से निर्मित है और इसे 10 फीट वर्ग के कुओं पर स्थापित किया गया है। वियर के ऊपर 587 लकड़ी के शटर देखे जा सकते हैं, जिन्हें सीधा खड़ा करने पर प्रत्येक शटर 3 फीट ऊंचा है। ये एक छोर पर टिका होता है और कम जल आपूर्ति के दौरान, जब भी वियर के ऊपर एक तालाब बनाने की आवश्यकता होती है तो इसे उठाया जा सकता है। हालांकि, जब बाढ़ आती है, तो उन्हें नीचे छोड़ दिया जाता है और वियर के शीर्ष पर समतल पड़े रहते हैं।

अंडरस्लुइस

वियर के दाहिने छोर पर अंडरस्लुइस हैं। इनमें 42 खण्ड हैं, जिनमें से प्रत्येक 7 फीट 3 इंच का है। अंडरस्लुइस का उद्देश्य बाढ़ के दौरान नदी में कटाव उत्पन्न करना है जिसके द्वारा चैनल को गाद भरने से बचाया जाता है, विशेष रूप से नहर के विपरीत ओर से यह गाद को हटाता है।

नहर

नहर का शीर्ष दाहिने किनारे पर स्थित है जो लगभग अंडरस्लुइस से सटा हुआ है। वाहिका की चौड़ाई 200 फीट है और इसे 10 फीट की गहराई तक पूरी आपूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है। विनियमन फाटक को चलने वाले क्रेन की मदद से चलाया जाता है। नहर के शीर्ष से थोड़ा ऊपर की ओर, हेड लाक चैनल है। यह एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है जहां तक बाढ़ के दौरान नावें वियर तक पहुंच सकती हैं। हेड लाक चैनल की चौड़ाई 20 फीट है और फाटकों के बीच इसकी लंबाई 150 फीट है। बाढ़ या अन्य विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, बाकी समय लाक गेट खुले रहते हैं और वहां से निकलने वाली वाहिका नहर में जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने में योगदान देती है।

निचली गंगा नहर का संरेखण नदी के समानांतर लगभग 16¹/₂ मील तक चलता है। इसके बाईं ओर का क्षेत्र लगभग खादर है, जिसमें रामघाट और सांकरा हेडलैंड हैं।

नहर की तलहटी में कई गहरे कटाव हैं, जो मगरमच्छों से भरे हैं, और दूर-दूर से कई शिकारी यहाँ आते हैं। इसके सिरो में नहर कोई सिंचाई नहीं करती है। इस पूरे भाग में सीपेज ड्रेन को मॉटेन रखना होता है, और नहर के नीचे स्थित साइफन कल्वर्ट के माध्यम से रिसने वाले पानी को नदी में ले जाया जाता है।

नद्राई जलसेतु

कासगंज शहर के पश्चिम में लगभग 3 मील, नहर काली नदी को पार करती है और काली नदी और पूर्वी नदियों के बीच के कैचमेंट से गुजरती है। इस साइट पर एक शानदार अनुप्रस्थ अपवाह निर्माण स्थित है, जिसे नद्राई जलसेतु कहा जाता है, जिसका अपना एक इतिहास है।

यह जलसेतु; ऊपरी गंगा नहर पर रुड़की में स्थित प्रसिद्ध सोलानी जलसेतु से न केवल बड़ा है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जलसेतु में से एक है। यह वास्तव में एक साहसिक डिजाइन था जिसे शानदार ढंग से निष्पादित किया गया था। कई निरीक्षण मीनारों के साथ इसकी विस्तृत क्रॉस-गैलरी और रिसाव निकास, कलात्मक रूप से तैयार किए गए हैं, जो विशाल संरचना की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाते हैं। हालांकि यह केवल ईट और चूने में निर्मित है, फिर भी कई आधुनिक कार्यों के साथ इसकी तुलना की जा सकती है।

राम गंगा बांध

नद्राई के नीचे, नहर अपने सिंचाई क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसमें दोआब के निचले जिलों का बड़ा हिस्सा शामिल है। देश की यह त्रिकोणीय पट्टी लगभग 300 मील लंबी है। यह अलग-अलग चौड़ाई की है और गंगा और यमुना नदियों द्वारा दो तरफ से घिरी है तथा 10,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। अपने सिंचाई कार्य के लिए, निचली गंगा नहर कई शाखाओं और छोटी वितरिकाओं और प्रणालियों में विभाजित हो जाती है, जिनकी कुल लंबाई 4,200 मील से अधिक है। खेती योग्य क्षेत्र 50 लाख एकड़ से अधिक है।

निष्कर्ष

निचली गंगा नहर, एक अमूल्य संपत्ति है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के लाखों निवासियों की किस्मत जुड़ी हुई है। इसलिए नरौरा, जहां यह गंगा से निकलती है, न केवल एक सुंदर स्थान है, बल्कि सही अर्थों में तीर्थ स्थान है। यहां वास्तव में, कई अज्ञात कर्म-योगी रहते थे और काम करते थे, जिनके संगठित कार्य और समर्पित सेवा से इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया और जिसने निर्विवाद समृद्धि और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया।

(स्रोत: भगीरथ जुलाई, 1956)



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता (पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक (टीसी) - सदस्य

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केंद्रीय जल आयोग

- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक (डब्ल्यूपीएंडपी-सी) - सदस्य
- श्री समीर कुमार झा, निदेशक (जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अर्जुन कुमार मधोक, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक (डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

